

कार्यालय कलेक्टर, जिला बेमेतरा (छ.ग.)

॥ आदेश ॥

क्र./ 5231 /स्था./अंग्रेजी माध्यम/सविदा भर्ती/2023-24/

बेमेतरा, दिनांक 15-09-23

छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के आदेश क्रमांक एफ 23-08 /2020 /20-दो/1899/अटल नगर नवा रायपुर दिनांक 16.05.2023 के द्वारा दिये गये पद के अनुसार स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट (अंग्रेजी माध्यम) शासकीय उ.मा.वि.राजामोहगांव वि.ख.साजा जिला बेमेतरा में निम्नांकित पद का सविदा नियुक्ति निम्नांकित शर्तों पर की जाती है। चयनित अभ्यर्थी स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय राजामोहगांव वि.ख.साजा में दिनांक 27-09-23 तक कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं निर्धारित तिथि के बाद आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा। संबंधित चयनित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करते समय मूल दस्तावेजों की छायाप्रति प्रस्तुत करेंगे।

क.	पद का नाम एवं विषय	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	आरक्षण	सविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय	पूर्ण पता
1	2	3	4	5	6	7
1	व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम)	राजेश कुमार पटेल	गजपती पटेल	अनारक्षित	38100	100 बस्ती पारा सिधन पुर बसना
2	व्याख्याता अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम)	प्राची मिश्रा	प्रवीण मिश्रा	अनारक्षित	38100	मोहभटठा रोड वार्ड 05 ब्राम्हण पारा बेमेतरा
3	व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	मेघा वर्मा	स्व. श्री देवप्रकाश वर्मा	अनारक्षित	38100	आईडीएफसी फस्ट बैंक के सामने उतई

शर्तें -

- 1/ सविदा नियुक्ति छ.ग.सिविल सेवा (सविदा नियुक्ति) नियम 2012 के अधीन रहेंगे।
- 2/ पद पूर्णतः अस्थायी होंगे। शासन के द्वारा नियुक्ति अथवा कार्य व्यवहार के आधार पर किसी भी समय पद से पृथक किया जा सकेगा।
- 3/ सविदा पर नियुक्त व्यक्ति को नियमित कर्मियों के समान आकस्मिक एवं ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी, किन्तु अन्य किसी भी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। आकस्मिक अवकाश एवं ऐच्छिक अवकाश पूर्ण महिनो के लिए आनुपातिक आधार पर दिए जावेंगे।
- 4/ किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति सविदा पर होने पर वह नियमितकरण के लिए किसी भी प्रकार का दावा नहीं करेगा ना ही उस पद के विरुद्ध उस व्यक्ति विशेष को नियमित भर्ती के समय कोई प्राथमिकता/छूट दी जावेगी।
- 5/ अभ्यर्थी का कार्य संतोषप्रद न होने पर एक माह का नोटिस देकर उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
- 6/ सविदा पद से त्याग पत्र 3 माह पूर्व की सूचना या 3 माह के वेतन चालान के माध्यम से जमा करने पर ही त्याग पत्र स्वीकृत किया जावेगा।
- 7/ विज्ञापन एवं शर्तों के अनुरूप समस्त दस्तावेज असत्य पाये जाने पर नियुक्ति आदेश निरस्त किया जा सकता है।
- 8/ चयन समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया ही मान्य किये जायेंगे।
- 9/ भविष्य में शासन के द्वारा उक्त पदों पर भर्ती किए जाने पर यह नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
- 10/ आपका कार्य व्यवहार एवं परीक्षा परिणाम प्रदर्शन के आधार पर भी आपको पदच्युत किया जा सकेगा।



- 11/ सविदा नियुक्ति छ.ग.सिविल सेवा (सविदा नियुक्ति) नियम 2012 के नियम 4 (1) के अन्तर्गत उल्लेखित सविदा नियुक्ति पदों पर प्रथम बार तीन वर्ष कालावधि के लिए की जाती है तथापि राज्य सरकार आवश्यकता के आधार पर तथा सविदा पर नियुक्ति व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन करने के पश्चात् सविदा नियुक्ति की कालावधि एक बार में अधिकतम तीन वर्ष के लिए बढ़ाते हुए सविदा नियुक्ति का नवीनीकरण का निर्णय ले सकेंगे।
- 12/ सविदा नियुक्ति छ.ग.सिविल सेवा (सविदा नियुक्ति) नियम 2012 के उपनियम (2) के अन्तर्गत उल्लेखित मामलों को छोड़कर सविदा सेवा में सिर्फ एकमुश्त राशि वेतन के रूप में देय होगी। इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृहभाड़ा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जावेगा तथा सविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतनवृद्धि की पात्रता नहीं होगी।

पृ.क्र./ 5232/स्था./अंग्रेजी माध्यम/सविदा भर्ती/2023-24/

कलेक्टर
जिला बेमेतरा (छ.ग.)
बेमेतरा, दिनांक 15-09-23

- प्रतिलिपि-
- 1/ सचिव, छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
 - 2/ संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन अटल नगर नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
 - 3/ संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग दुर्ग को सादर सूचनार्थ।
 - 4/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बेमेतरा को सूचनार्थ।
 - 5/ जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा को सूचनार्थ।
 - 6/ प्राचार्य, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट (अंग्रेजी माध्यम) शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजामोहगांव वि.ख.साजा जिला बेमेतरा को सूचनार्थ।
 - 7/ विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी साजा जिला बेमेतरा को सूचनार्थ।
 - 8/ समस्त वयनित अभ्यर्थी श्री/श्रीमती/कुमारी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ अंग्रेषित।

कलेक्टर 15/9/23
जिला बेमेतरा (छ.ग.)